वाल्मीकि रामायण में न्याय एवं दण्ड — व्यवस्था

पंकज देवी, पी एच० डी० छात्रा,
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, म०द०वि० रोहतक।
ईमेल पता - pankajhooda234@gmail.com ,

संसार में सदैव से ही कानून को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा भी है कि मानव के लिए कानून के अधीन रहना आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा [1]। अनेक भारतीय दार्शनिकों ने यह बताया है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है और वह उसी के अनुरूप व्यवहार करती है। अपने धर्म के अनुकूल आचरण करना ही कानून का पालन करना है। रामायणकार ने भी यही प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में स्थित रहना चाहिए तथा उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति - समाज, नैतिकता अथवा राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता है [2]।

वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आधुनिक अर्थ में विधि अथवा कानून शब्द का प्रयोग कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वास्तव में रामायण के प्रयुक्त 'धर्म' शब्द के अंतर्गत कानून, नैतिकता, कर्तव्य आदि सभी आ जाते हैं [3], इसी कारण से रामायण में आजकल के अर्थ में कानून की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं मिलती। वास्तव में राजा का आदेश ही कानून था। धर्म शास्त्रों में राजा को ही न्याय का स्रोत कहा गया है, किंतु राजा के आदेश का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं था [4]। किसी भी विषय में न्याय करने से पूर्व सभा में उपस्थित विभिन्न विद्वानों, ब्राह्मणों व अन्य समासदों से पूछा जाता था कि किस विषय में क्या न्याय किया जाना चाहिए [5]।रामायण काल में राजा का आदेश ही कानून था, परंतु उसके लिए यह आवश्यक था कि वह आदेश ब्राह्मणों, मंत्रियों एवं अन्य सभी सभासदों को मान्य व धर्मशास्त्र, लोकाचार, राजधर्म एवं अन्य परिस्थितियों के अनुकूल हो तथा उसका उद्देश्य प्रजा का रक्षण व रंजन [6] करना हो। रामायण काल में भले ही आज के अर्थ में 'विधि का शासन' न रहा हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि रामयणीय विचारधारा के अनुसार धर्म अथवा कानून ही सर्वोपरि था।

रामायण में न्याय :-

वाल्मीकि रामायण में निष्पक्ष न्याय करना राजा का परम कर्तव्य बताया है। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उसे दूसरों के किए गए पाप भी भोगने पड़ते हैं।

अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैर्वसुधाधिपैः।

शास्त्र दृष्टि से प्राणदंड के अधिकारियों का राम वध कर देते थे तथा जो वध के योग्य नहीं है, उन पर कभी कुपित नहीं होते थे [7]। कौटिल्य के अनुसार राजा दिन के दूसरे भाग में पौरजानपदों के व्यवहारों का निपटारा करें - **द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्।** [8]

इसी समान वाल्मीकि ने भी राजा के इसी कर्तव्य को राम की दिनचर्या के माध्यम से वर्णित किया है [9]। राम भी उसी प्रकार प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पौरजानपदों के विवादों का निपटारा करते थे।

ततः प्रभाते विमले कृतपूर्वाह्निकक्रियः,
अभिचक्राम काकुत्स्थो दर्शनं पौरकार्यवित्। [10]

यद्यपि रामायण काल में कानून के निर्माण के कोई स्पष्ट एवं सुनिश्चित साधन नहीं थे, किंतु यत्र - तत्र बिखरी हुई सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस युग में जो भी कानून प्रचलित थे वे किसी एक स्त्रोत से नहीं, अपितु अनेक स्त्रोतों से प्राप्त होते थे। उस समय की सामाजिक व्यवस्था आज की भांति राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के ऊपर आधारित नहीं थी। रामायण में कानूनी झगड़ों के लिए व्यवहार शब्द प्रयोग किया जाता था [11]। रामायण में कानून (नियम) वर्ण, आश्रम, राज्य, राजा, स्त्री-पुरुष, कुल, आचार,

देश आदि श्रेणियों के अनुसार पृथक् -पृथक् थे।

प्रत्येक वर्ण के लोगों के कुछ निश्चित अधिकार एवं कर्तव्य थे और उन कर्तव्य व नियमों का पूर्ण रुप से पालन करना होता था। वर्णों के समान ही विभिन्न आश्रमों के व्यक्तियों के भी कर्तव्य सुनिश्चित थे। इन आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम का ही व्यापक वर्णन रामायण में किया गया है[12]। इसी प्रकार से राज्य के लिए या समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष नियम, स्त्री- पुरुष के लिए अलग कर्तव्य व अधिकार थे। किसी व्यक्ति से किस प्रकार का आचरण किया जाना चाहिए, ये सभी वर्ग विशेष के नियमों के अंतर्गत आते थे।

रामायण युग में न्याय की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म एवं सरल थी व न्याय कार्य बहुत शीघ्रता से संपन्न होते थे। उस समय में राजा विधि या कानून का निर्माता नहीं था। उसका कार्य धर्मों अथवा विधियों की रक्षा करने तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देने तक ही सीमित था। परंतु राजा अकेला व्यक्ति नहीं होता था, जो अपराध करने वाले को मनमाने ढंग से दंड दें, अपितु वह अपने सभासदों की सहायता से दंड निर्धारित करता था।

रामायण में न्यायालय के लिए 'धर्मासन' शब्द का प्रयोग किया गया है, यथा - ..... **धर्मासनगतो राजा रामो राजीव लोचन**। [13] तथा राम की न्यायसभा में वेदवेत्ता, ब्राह्मण, पुरोहित, व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्री आदि सम्मिलित थे [14]। रामायण में केवल राजा ही न्यायाधीश नहीं, अपितु न्यायाधीश से संभवतः उन सभी व्यक्तियों का बोध होता है जो राजा को न्याय करने में सहायता प्रदान करते थे, व इन सभी व्यक्तियों का चयन व नियुक्ति उनकी राजनीति, नीतिशास्त्र आदि के ज्ञान पर की जाती थी।

अपराध व दंड :-

रामायण में कुकृत्य (अपराध) के लिए 'अपराध'[15] एवं 'पाप'[16] दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस समय में अपराधों के लिए दण्डों की अपेक्षा प्रायश्चित एवं पाप - फलों का उल्लेख अधिक मिलता है। कतिपय कुकृत्य जो अपराध की श्रेणी में आते है :-

चोरी करना, पराई स्त्री का अपहरण, कृतघ्नता, राजद्रोह, नास्तिक यज्ञ में विघ्न डालना, ब्राह्मण का धन छीनना, हत्या करना, युद्ध में पीठ दिखाना, शिशु हत्या राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करना इत्यादि।

दंड की विधियां :-

मनु और याज्ञवल्क्य ने दंड की चार विधियां बताई हैं - वाग्दंड, धिग्दंड, अर्थदंड व शारीरिक दंड तथा इनका क्रमशः प्रयोग करना चाहिए -

वाग्दण्डं प्रथमं.....[17] ।

रामायण काल में भी यही चारों विधियां प्रयोग में लाई गई हैं। तथा इनके अतिरिक्त वाल्मीकि ने नास्तिक के सामाजिक बहिष्कार का विधान किया है।

.....तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्।[18]

वाग्दंड :-

ऋषि विश्वामित्र की सहायता का वचन देकर जब दशरथ राम को उनके साथ भेजने के लिए मना करते हैं तब वशिष्ठ ने दशरथ के प्रति वाग्दंड का ही प्रयोग किया था -

प्रतिश्रुत्य करिष्यति उक्तं वाक्यमकुर्वतः।
इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् राम विसर्जय।। [19]

धिग्दंड :-

इस दंड का प्रयोग कैकयी पर दशरथ, सुमन्त्र, वशिष्ठ, भरत आदि अनेक व्यक्तियों ने किया। शाप भी एक प्रकार से धिग्दंड ही है, प्रयोग रामायण में अनेकशः हुआ है - गौतम ऋषि ने इंद्र को [20], वशिष्ठ पुत्रों ने सशरीर स्वर्गकामी त्रिशंकु को, विश्वामित्र ने तपस्या में भंग डालने वाली रम्भा को, अंधमुनि ने अपने पुत्र श्रवण के हत्यारे दशरथ[21] को शाप दिया। शाप का प्रयोग पापियों पर किया जाता था।

अर्थदंड :-

चित्रकूट पर राम भरत से पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में किसी निर्दोष को लोभवश आर्थिक दंड तो नहीं दिया जाता अथवा धन के लोभ से अपराधी को छोड़ तो नहीं दिया जाता[22] । इससे ज्ञात होता है कि उस समय पर कुछ अपराधों के लिए आर्थिक दंड का भी विधान रहा होगा।

शारीरिक दंड :-

शारीरिक दंड अनेक प्रकार से दिया जाता था। उस काल में अपराधियों को यातना देने की अनेक पद्धतियां प्रचलित थी, यथा - अपराधी के किसी अंग को भंग या विकृत

करना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुंडवा देना, शरीर में कोई चिह्न दाग देना। इस प्रकार के दंडों का प्रयोग प्रातः दूतों पर किया जाता था, क्योंकि दूत को अवध्य माना जाता है -

वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो.....

....न श्रुतोऽस्ति।[23]

पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, पुत्री भगिगी और छोटे भाई की पत्नी से कामाचरण करने वाले, कृतघ्न, राजद्रोही यज्ञ में विघ्न डालने वाले का मृत्यु दंड दिया जाता था। बालि अपने अनुज सुग्रीव की पत्नी पर कामासक्त था। इसी कारण राम ने उसका वध किया। ताड़का, सुबाहु तथा अन्य अनेक राक्षसों का वध राम ने यज्ञ में विघ्न डालने के कारण किया। ब्राह्मण का धन छीनना, किसी की हत्या करना अथवा पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना - यह ऐसे अपराध थे, जिनके लिए देशनिकाला या वनवास दिया जाता था। जैसाकि राम के वनवास के विषय में भरत के अपनी माता से किए प्रश्न से स्पष्ट है।

कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं.....

..... रामो विवासितः।[24]

शिशु हत्या करके परिजनों को रुष्ट करने वाले असमंजस राजकुमार को भी राजा सगर ने पत्नी सहित अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इससे रामायण काल के राजाओं के निष्पक्ष न्याय का पता चलता है —

तं यानं शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छम्।
यावज्जीवं विवास्योऽयमिति समिति तानन्वशात्
पिता।।[25]

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उस काल में लोगों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुलभ था। उन्हें वर्षों न्यायालयों में भटकना नहीं पड़ता था। वकील और न्यायालय शुल्क का व्ययभार नहीं उठाना पड़ता था। इस प्रकार रामायण में उल्लिखित न्याय प्रणाली आजकल की न्याय प्रणाली की तुलना में अत्यंत सस्ती, त्वरित और सर्व सुलभ है।

संदर्भ सूची

1. That it is necessary to lay down laws for mankind, and for them to live according to law or for them to differ not at all from animals the most savage in every respect. - Plato, The Laws, Ed. George Burges, London :George Bell and son, 1890
2. किष्किंधा कांड, 17, 34 — 35
3. B. Bhagwandas, op. cit., p. 50, The Science of Social Organisation or The Laws of Manu
4. राजवृत्तिरसंकीर्णा न नृपाः कामवृतयः ... किष्किंधा कांड, 17, 32
5. उत्तरकांड, 59 (2),33 — 32
6. उत्तरकांड, 59 (2), 8 — 9
7. अयोध्याकांड, 2, 46
8. अर्थशास्त्र, 1.19
9. उत्तरकांड ,37 — 38
10. उत्तरकांड, 60,2
11. उत्तरकांड, 59 (1), 3
12. उत्तरकांड, 78, 16, व अयोध्याकांड, 106,22-28
13. उत्तरकांड, 1, 1
14. उत्तरकांड, 1, 1 - 3
15. अरण्यकांड, 65, 6
16. सुंदरकांड, 28,7
17. मनुस्मृति, 8. 129 व याज्ञवल्क्य स्मृति 1.367
18. अयोध्याकांड, 109,34
19. बालकांड, 21, 8
20. बालकांड, 48,28 — 32
21. अयोध्या कांड, 64, 54
22. अयोध्या कांड, 100,56 - 57
23. सुंदरकांड, 52, 15
24. अयोध्याकांड, 72, 44 - 45
25. अयोध्याकांड, 36,24